फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

छोगाराम	बनाम	रामाराम
जीसीएमएस संख्या 2024/428		किस्म मुकदमा 212

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
04/10/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित/ वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की गयी है व अप्रा./अप्रार्थीगण का इंतजार होकर पत्रावली दिनांक 07/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
07/10/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थीगण उप./ टूर रिपोर्ट प्राप्त/ शामिल मिसल रहे/ अप्रार्थीगण अनुपस्थित/ पत्रावली वास्ते गौर तामील दिनांक 17/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/10/24 मौके की TI (हस्ताक्षर)	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित/ अप्रार्थीगण अनुपस्थित/ अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है/ पत्रावली पर वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ख. सं. 178 रकबा 3.3265 हैक्टेयर वाके ग्राम जालीखेड़ा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी [illegible] आराजी की [illegible] में पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:22 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

छोगाराम	बनाम	रामाराम	
जीसीएमएस संख्या	2024/428	किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 178/ 3.3265 है० वाके ग्राम जालीखेड़ा में वक्त सेटलमेन्ट से काबिज-काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी के दक्षिण-पश्चिमी सेडे पर अप्रार्थी सं. 01 की खातेदारी आराजी अवस्थित है। विप्रार्थी सं. 01 से 07 मिले हुए हैं तथा प्रार्थीगण की सड़क की तरफ अवस्थित आराजी पर लठ के बल जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 01ता 07 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर जानबूझकर दखलअंदाजी कर रहे हैं। इस हेतु न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद पेश किया गया है यदि प्रार्थीगण वाद के निस्तारण से पूर्व प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा या निर्माण करने में कामयाब हो जाते हैं, तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त आराजी पर प्रार्थी के खसरा सं. 178 वाके ग्राम जालीखेड़ा पर हस्तक्षेप, अनाधिकृत प्रवेश व निर्माण नहीं करने हेतु ताफैसला मौका की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जावे। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन [illegible] किया गया। पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:22 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

छोगाराम	बनाम	रामाराम
जीसीएमएस संख्या 2024/428		**किस्म मुकदमा** 212

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	एवं वकील प्रार्थीगण की बहस के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होना साबित होता है। वकील अप्रार्थीगण की बहस अनुसार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर हठ के बल कब्जा एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की तामील पूर्ण करवाई जा चुकी है अतः न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अप्रार्थीगण यदि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर कब्जा व निर्माण कार्य करने में कामयाब होते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना स्वाभाविक है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी, शपथ-पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा संख्या 178 रकबा 3.3265 है० वाके ग्राम जालीखेड़ा तहसील गुड़ामालानी पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक मुतनाजा आराजी ख.सं. 178 की मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली निर्णित [illegible] होकर मूल वाद के नत्थी हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:22 IST
Reason: SelfAttested